विधान परिषद के तृतीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
17. (क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12/06/2023 जो कि प्राथमिक विद्यालय रामसिंह खेडा, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी, जनपद-उन्नाव के शिक्षकों को जुलाई, 2007 में वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने से सम्बन्धित है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव को प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख) यदि हॉ, तो उक्त पत्र के संबंध में अद्यतन क्या कार्यवाही की गयी है, तथा उक्त वार्षिक वेतनवृद्धि कब तक प्रदान करायेंगे?	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव, प्र0शि0, प्राथमिक विद्यालय रामसिंह खेड़ा, विकास खण्ड सिकन्दरपुर सरोसी, जनपद-उन्नाव की सेवापुस्तिका के परीक्षणोपरान्त अवगत कराया है कि शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1318/दस-59 (एम)/ 2008 दिनांक 08.12.2008 के बिन्दु 8 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तिथि) में उल्लिखित है कि वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई को होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। शिक्षिका की सेवापुस्तिका में अंकित वेतन निर्धारण के अनुसार श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव को छठें वेतनमान में चयन वेतनमान का लाभ शासनादेश संख्या

2173-79-5-2014-5/2010 दिनांक 09 जून, 2014 के क्रम में दिनांक 27.03.2007 को प्रदान किया गया था। इस प्रकार 01 जनवरी 2006 से 26.03.2007 तक अपुनरीक्षित वेतन संरचना (पांचवें वेतन आयोग) में रही। पुनरीक्षित वेतन संरचना (छठवें वेतन आयोग) के अनुसार शिक्षिका को प्राप्त चयन वेतनमान का लाभ दिनांक 27.03.2007 को ग्रेड वेतन रू0 4600 के सापेक्ष न्यूनतम वेतनमान 17140.00 (12540+4600) निर्धारित किया गया। अतः 01 जुलाई 2007 को 06 माह का समय पूर्ण नहीं होने के कारण आगामी वेतन वृद्धि का लाभ 01 जुलाई 2008 को नियमानुसार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार शिक्षिका को वेतनवृद्धि का लाभ निर्धारित समय पर ही प्रदान किया जा चुका है।

संदीप सिंह
राज्य मंत्री(स्वतन्त्र प्रभार)।